कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 834 / 2018 / 10–11 / 3624 भोपाल, दिनांक 22-11-18

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– इन्दौर एवं खरगौन जिले में महू–सनावद गेज परिवर्तन हेतु रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु इन्दौर वन मण्डल की 188.97 हेक्टेयर एवं बड़वाह वन मण्डल की 19.922 हेक्टेयर कुल 208.89 हेक्टेयर वन भूमि पश्चिम रेल्वे, इन्दौर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– (1)भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्त मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPA020/2018-BHO/399 दिनांक 23.08.2018
(2)इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / एफ–5 / 834 / 2018 / 10–11 / 2689 दिनांक 07.09.2018

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, संदर्भित पत्र (1) द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की स्वीकृति जारी करने के पूर्व 04 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी, जो संदर्भित पत्र (2) द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है।

बिन्दु क्रमांक 4 के पालन में पूर्व में प्रेषित की गई 7 स्थानों पर 380.00 हे0 बिगड़े वनों का चयन कर रोपण योजना तैयार की गई थी, परन्तु इन स्थलों के 40 प्रतिशत क्षेत्र मध्यम् घने वनों का होने के कारण संशोधित योजना तैयार की जा रही है। संशोधित योजना इन्दौर वनमण्डल के परिक्षेत्र इन्दौर के कक्ष क्रमांक RF 186 रकबा 100 हे0, कक्ष क्रमांक RF 252 रकबा 100 हे0, कक्ष क्रमांक RF 224 रकबा 90 हे0 एवं परिक्षेत्र चौरल के कक्ष क्रमांक RF 217 रकबा 100 हे0 कुल 390 हेक्टेयर बिगड़े वनों पर रोपण योजना तैयार की जा रही है, जिसकी KML file, Geo-referenced map एवं सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट अपलोड की जा चुकी है। प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की जावेगी एवं योजना के अनुसार ही आवेदक संस्थान से ऑनलाईन राशि जमा की जावेगी।

अतः उपरोक्तानुसार आपके द्वारा चाही गई जानकारी पूर्ण हो गई है। कृपया प्रकरण में प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुनील अग्रवाल)

D:\c-drive\Year 2018\F-5\GOI.doc